

न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल
(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

व्य.वाद. क्रमांक:- 34ए/16

संस्थापन दिनांक:-15/09/14

फाईलिंग नं. 233504000302014

1. जुंगीलाल पिता सुखराम, उम्र 70 वर्ष
 2. भादू पिता मंजीलाल, उम्र 32 वर्ष
 3. टरू पिता मंजीलाल, उम्र 30 वर्ष
 4. मदारी पिता मंजीलाल, उम्र 24 वर्ष
 5. नान्हू पिता मंजीलाल, उम्र 20 वर्ष
- सभी निवासी कलमेश्वरा,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....वादीगण

वि रू द्ध

1. मंजीलाल पिता सुखराम, उम्र 75 वर्ष
 2. नगरू पिता मंजीलाल, उम्र 28 वर्ष
 3. लिटा पिता मंजीलाल, उम्र 26 वर्ष
 4. गरीबसिंग पिता सुखराम, उम्र 73 वर्ष
 5. गोंडे पति चैतराम, उम्र 40 वर्ष
 6. बिसराम पिता चैतराम, उम्र 16 वर्ष
 7. तुलसिया पिता रायसिंग, उम्र 35 वर्ष
 8. मुन्ना पिता नन्हू, उम्र 42 वर्ष
 9. गुलाब पिता नन्हू, उम्र 45 वर्ष
 10. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर
- क. 1 से 7 निवासी कलमेश्वरा,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- क. 8 एवं 09 निवासी कलमेश्वरा,
तहसील आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
- जिला बैतूल (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

—: (निर्णय) :—

(आज दिनांक 31.03.2017 को घोषित)

- 1 वादीगण द्वारा यह दावा ख. नं. 11, 120, 254, 307 रकबा क्रमशः 1.259, 0.194, 2.545, 1.246 हे. स्थित ग्राम कलमेश्वरा तहसील आमला जिला

बैतूल (अत्र पश्चात विवादित भूमि से संबोधित) के स्वत्व घोषणा एवं प्रतिवादी क्र. 01 द्वारा प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 के पक्ष में ख.नं. 11 के किये गये विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 को शून्य घोषित कराने एवं प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 के विरुद्ध वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 से 07 एक ही कुटुम्ब के हैं तथा विवादित संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति है जिस पर वादीगण का जन्म से ही हक है। विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी क्र. 01 से 07 के बीच विभाजन नहीं हुआ है। विवादित भूमि शामिल शरीक है तथा राजस्व अभिलेखों में भी विवादित भूमि सभी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। वर्ष 2014 के जून माह में प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 ने वादीगण से यह कहा कि उन्होंने विवादित भूमि ख.नं. 11 में से दो एकड़ जमीन खरीद ली है और अब यह जमीन उनकी है। जब वादीगण ने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादी क्र. 01 ने प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 के पक्ष में दिनांक 29.03.2012 को ख.नं. 11 के रकबा 1.259 हे. में से 0.809 हे. का विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है। विवादित भूमि पैतृक संपत्ति है। उसका विभाजन भी नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी क्र. 01 को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का भी उसमें स्वत्व है। अतः वादीगण के द्वारा स्वत्व की घोषणा एवं विभाजन से पूर्व प्रतिवादी क्र. 01 द्वारा किये गये विक्रय को शून्य एवं अवैध घोषित किये जाने हेतु तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

3 प्रकरण में प्रतिवादी क्र. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए थे परंतु जवाबदावा प्रस्तुती के प्रक्रम पर न्यायालय के द्वारा कई बार समय दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रकरण में आगे उनके अनुपस्थित हो जाने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। शेष प्रतिवादीगण नोटिस की तामिली उपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरुद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

4 प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

1. क्या विवादित भूमि ख. नं. 11, 120, 254, 307 रकबा क्रमशः 1.259, 0.194, 2.545, 1.246 हे. स्थित ग्राम कलमेश्वरा तहसील आमला जिला बैतूल वादीगण की पैतृक संपत्ति है ?

2. क्या विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य है ?
3. क्या विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 शून्य होकर अवैध है ?
4. सहायता एवं व्यय ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

5 वादीगण ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन किया है कि विवादित संपत्ति उनकी पैतृक संपत्ति है। वादी साक्षी भादू एवं जुग्गीलाल ने भी अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्रीय कथनों में विवादित संपत्ति का पैतृक होना बताया है और विवादित संपत्ति पर जन्म से ही अपना हक एवं अधिकार होना बताया है। अतः प्रकरण में सर्वप्रथम प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या विवादित भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति है।

6 वादीगण ने अपने वाद पत्र में विवादित संपत्ति के पैतृक होने का अभिवचन किया है परंतु वाद पत्र में इस अभिवचन का अभाव है कि विवादित संपत्ति वादीगण को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। किस प्रकार प्राप्त हुई थी इसका भी अभाव है। वादीगण ने विवादित संपत्ति के संबंध में लोक दस्तावेज किशतबंदी खतौनी वर्ष 2013-14 (प्रदर्श पी-1), खसरा वर्ष 2013-14 (प्रदर्श पी-2), ख.नं. 11 का नक्श प्रिंटआउट वर्ष 2013-14 (प्रदर्श पी-3) प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त दस्तावेजों के अवलोकन से विवादित संपत्ति ख.नं. 11, 120, 254 एवं 307 पर वादी क्र. 01 तथा प्रतिवादी क्र. 01, 04, 05, 06, 07 का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है। प्रथम दृष्टया विवादित भूमि वादी क्र. 01 एवं प्रतिवादी क्र. 01, 04, 05, 06, 07 की संयुक्त शामिलाली भूमि होना प्रकट हो रही है।

7 वादीगण के द्वारा विवादित अचल संपत्ति के स्वत्व के स्रोत के संबंध में न ही कोई मौखिक साक्ष्य और न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। वादीगण ने न तो ऐसा अभिवचन किया है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है कि उसके दादा का क्या नाम था एवं उसके दादा की मृत्यु उपरांत विवादित संपत्ति उसके पिता सुखराम के नाम पर आयी हो। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह प्रकट हो कि विवादित संपत्ति उसके पिता सुखराम के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही हो। वादीगण के द्वारा मात्र वर्ष 2013-14 के राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे विवादित भूमि पैतृक होने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं

निकाला जा सकता है। वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा चाही गयी है जिसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वादीगण विवादित भूमि पर अपने स्वत्व का स्रोत बताये कि उन्हें विवादित भूमि किससे एवं किस प्रकार प्राप्त हुई। चूंकि वादीगण के द्वारा विवादित संपत्ति का पैतृक होना प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तब ऐसी स्थिति में मात्र वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के राजस्व अभिलेखों से जिसमें विवादित संपत्ति में वादी जुग्गीलाल का नाम अन्य प्रतिवादीगण के साथ दर्ज है, यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि विवादित संपत्ति पर वादीगण का स्वत्व है क्योंकि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां स्वत्व की उपधारणा किये जाने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं।

विचारणीय प्रश्न क्र. 02 एवं 03 का निराकरण

8 वादीगण ने प्रतिवादी क्र. 01 द्वारा प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 (प्रदर्श पी-4) प्रस्तुत किया है जिसमें यह लेख है कि विक्रेता अर्थात् प्रतिवादी क्र. 01 क्रय किये जाने वाली संपत्ति ख.नं. 11 का स्वामी है जो कि उसके द्वारा रामरतन से क्रय की गयी थी। वादीगण विवादित भूमि पर अपने स्वत्व को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 को शून्य घोषित किये जाने एवं वादीगण को प्रतिवादी क्र. 08 एवं 09 के विरुद्ध निषेधाज्ञा की सहायता नहीं दी जा सकती है।

विचारणीय प्रश्न क्र. 04 का निराकरण

9 उपर्युक्तानुसार की गई साक्ष्य विवेचना से वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि विवादित भूमि ख. नं. 11, 120, 254, 307 रकबा क्रमशः 1.259, 0.194, 2.545, 1.246 हे. स्थित ग्राम कलमेश्वरा तहसील आमला जिला बैतूल उनकी पैतृक संपत्ति है एवं विवादित भूमि पर वादीगण का स्वत्व एवं आधिपत्य है। चूंकि विवादित भूमि पर वादीगण अपना स्वत्व एवं आधिपत्य प्रमाणित नहीं कर पाये हैं अतः विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 शून्य घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। फलतः वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है तथा निम्न आशय का आदेश पारित किया जाता है :-

1. विवादित भूमि ख. नं. 11, 120, 254, 307 रकबा क्रमशः 1.259, 0.194, 2.545, 1.246 हे. स्थित ग्राम कलमेश्वरा तहसील आमला जिला बैतूल के संबंध में स्वत्व की घोषणा, विक्रय पत्र दिनांक 29.03.2012 को शून्य घोषित कराये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।

2. वादीगण अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो, खर्चे में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित।

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
आमला, जिला बैतूल